

प्रपत्र-V

इसे वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी जो अवर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है।

18	राज्य सरकार की सिफारिश (उपर्युक्त भाग "ख" या भाग "ग" या भाग "घ" में किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गई प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाएँ)	18	प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) की अनुशंसा के आधार पर सीहोर जिले में सिद्धीकगंज-हाटपिपलिया मार्ग उन्नयन/चौड़ीकरण हेतु 3.720 हेक्टेयर वनभूमि मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम भोपाल को उपयोग पर देने की अनुशंसा की जाती है।
----	---	----	--

दिनांक: 06.01.2023

स्थान: भोपाल

06/1/23
(अशोक कुमार)
अपर सचिव
(अशोक कुमार)
म.प्र. शासन वन विभाग
मध्यप्रदेश शासन, वन

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या
(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जावेगा)